न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 02/2019

वादीः—

1. मगनाराम पुत्र श्री हीराराम जी उम्र 50 वर्ष जाति भांबी, निवासी हाथलाई, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), पाली

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान् अभिभाषक वादीगण
2. श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 20/01/2020

1. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरहद मौजा गुंदोज में संवत् 2023 से 2026 तक की जमाबंदी के माफिक खसरा संख्या 106 रकबा 84 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम स्थित है। जो राजकीय सिवाय चक थी। तत्पश्चात् वादी के पिता हीरा वल्द गोमा कौम भांबी के नाम 15 बीघा 09 बिस्वा कृषि भुमी आवन्टन हुई जो श्रीमान तहसीलदार पाली के आदेश कमांक एल.आर. नंबर 1284 दिनांक 06—06—1963 के अनुसार खसरा संख्या 106 में रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा का नामान्तरण वादी पिता के नाम अमल अदामद किया गया जिसके म्यूटेशन संख्या 17 है। नामान्तरण वादी के पिता सहीव पांच (5) व्यक्तियों सहित स्वीकृत हुआ व उसी समय खसरा में टुकड़े कर वादी के खसरा 15 बीघा 09 बिस्वा के खसरा नम्बर 106/3 कायम किये गये। इस प्रकार नामान्तरण के बाद वादी के पिता का नाम जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में दर्ज किया गया व वादी के पिता हीरा के बट्टा नम्बर 2391/106 कायम किया गया। तत्समय से इस खसरे की भूमि पर वादी के पिता का कास्त करते थे व वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् से लगातार वादी कास्त करते आ रहे है व कब्जा काश्त वादीगण का है। इस कृषि भूमि रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा पर लगभग 51—52 वर्षों से वादी व वादी के पिता का कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। जमाबंदी में वादी के पिता का नाम बतौर गैर खातेदार संवत् 2038 तक रहा है परन्तु इस अवधि तक वादी व इनके पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये इस कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश है। प्रतिवादी द्वारा हीरा की मृत्यु होने के बाद हीरा का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 96 दिनांक 19—11—1996 को स्वीकृत करते समय म्यूटेशन में गलत एन्ट्री कर यह दर्ज कर दिया कि " यह भुमि भू—दान होल्डर है। इसे भुमी हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। " यह टिप्पणी नामान्तरण संख्या 96 के कॉलम संख्या 7 व 8 में की गई। नामान्तरण स्वीकृत करते समय व हल्का पटवारी के नामान्तरण भरते समय इस प्रकार के निर्देश प्रतिवादी के पास उपलब्ध नहीं थे कि नामान्तरण में इस प्रकार की एन्ट्री की जावे

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

व इसी अनुसार जमाबंदी में एन्ट्री की जावे। उक्त एन्ट्री बिना कानून के व वादी को बिना नोटिस दिये की गई। इसी प्रकार के पिता हीरा के खातेदारी अधिकार कायम होने के बाद नामान्तरण के जरिये हीरा के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूदान होल्डर हस्तान्तरण अधिकार नहीं, दर्ज कर दिया गया व नया म्यूटेशन स्वीकृत किया गया जो शून्य व अस्तित्व रहित हैं। वादी के पिता को इस बाबत न तो नोटिस दिया ओर न ही सुना गया। मात्र यह टिप्पणी हल्का पटवारी द्वारा दर्ज की गई कि तहसीलदार पाली के राजस्व आदेश के अनुसार किया गया। ऐसा आदेश तहसीलदार पाली से न तो जारी हुआ न ही तहसील कार्यालय में उपलब्ध है। वादी के पिता के साथ सह आवंटी रामसिंह के वारिसान द्वारा तहसीलादर पाली द्वारा दिनांक 15–02–2018 के द्वारा यंह लिखित में प्रमाण पत्र दिया कि ऐसा आदेश है ही नहीं। जब किसी कानून के जरिये कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ न ही कहीं अपील, रिवीजन हुई तो नामान्तरण जो हीरा के नाम दर्ज किया गया वह शून्य है तथा वादी इससे बाध्य नहीं है। तहसीलदार को नजरसानी के अधिकार नहीं है। इस कारण वादी के खातेदारी अधिकार वादी की जानकारी में लाये बगैर खारीज किया है जो शून्य है व वादी खातेदारी की घोषणा प्राप्ति के अधिकारी है। वादी व उसके स्वर्गीय पिता 51–52 वर्षों से अधिक समय से कब्जा कास्त है। कृषि भूमि कोा खाद बीज देकर उपजाउ बनाया है। वादी के खातेदारी अधिकार कंफर्म हो चुके है। खातेदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार प्रतिवादी को नहीं थे। जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में वादी के खातेदारी अधिकार थे व वर्तमान में भी खातेदारी अधिकार अस्तित्व में हैं। कानून भी वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकार होने की उपधारणा करता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा अवैध तरीके से खातेदारी अधिकार समाप्त किये। इस कारण से वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है व रेवेन्यू रेकर्ड दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। इस रेकर्ड दुरस्ती की घोषणा की जावे। खसरा संख्या 106 में गोरधन पुत्र अन्ना, भीमला पुत्र भूरा, अचलसिंह पुत्र माना व रामसिंह पुत्र बुधा को भी भूमि आंवटन की गई थी व नामान्तरण संख्या 17 दर्ज किया गया था। इन व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गये थे। इस भूमि में खसरा संख्या 2389/106 के खातेदार द्वारा तेजाराम पुत्र चेलाजी पटेल को व खसरा संख्या 2393/106 जेठमल पुत्र पन्नालाल सोनी को कृषि भूमि आवन्टीयों द्वारा बेचाण हस्तान्तरण कर दिया गया है तथा रामसिंह के वारीसान केसरसिंह वगैरा द्वारा खसरा संख्या 2392/106 के लिये श्रीमान के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए, 18 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इन भुदान होल्डरो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए व भुमी हस्तान्तरण हुई तो कानून के प्रावधान किस प्रकार वादी पर चस्पा हुये। यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दुर्भावनापूर्वक वादी के खातेदारी अधिकार को हटाया गया है व गलत ईन्द्राज किया है। जिससे वादी रेकर्ड दुरस्ती करवाने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग हैं। 51–52 वर्षों से अधिक समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादी का सेटल पजेशन हैं दिनांक 15–05–2018 को हल्का पटवारी वादी के पास आया व यह कहा कि वादी का पूरा नाम इस भूमि से हटाकर भूदान यज्ञ बोर्ड दर्ज कर देगें व कब्जा हटा देगें। इस पर वादी द्वारा दस्तावेज प्राप्त कर उक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया है। वादी को यदि बेदखल कर दिया व कास्त से मेहरूम कर दिया तो

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

वादी को अकथनीय हानि होगी। वादी के पास कास्त योग्य कोई भूमि नहीं है। मौके की स्थिति में परिवर्तन व परिवर्धन कर दिया व कास्त में प्रतिवादी द्वारा बाधा पैदा की जाती है तो वादी अपने हक हकूक से मेहरूम हो जावेगा। प्रतिवादी व इसके मातहत अधिकारी ऐसा करने पर आमादा है। इस कारण से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश है। वाद अर्जेंट नेचर का है। स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादी द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द करने से व वादीगण को बेदखल करने से वादीगण को अकथनीय हानि होगी व नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का देने से वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। इस कारण बिना नोटिस दिये धारा 80(2) सी.पी.सी. के नोटिस की छुट के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश है। वाद हेतुक बहक वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 में खातेदारी अधिकार होने से, 51–52 वर्षों से अधिक का वादी का कब्जा काश्त व सेटल पजेशन होने से, नामान्तरण फर्जी व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से भरने से, वादग्रस्त भूमि पर वादी के खातेदरी अधिकार कानून के अनुसार कंफर्म होने से, दिनांक 15–05–2018 को हल्का पटवारी द्वारा बेदखल करने की धमकी देने से, अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से विरूद्ध प्रतिवादी बमुकाम गुंदोज में पैदा हुआ है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री सादिर फरमावें कि सरहद मौजा हाथलाई(गुन्दोज I) पटवार हल्का गुन्दोज के खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा की कृषि भूमि पर वादी के खातेदारी अधिकार की घोषणा की जाकर रेवेन्यु रेकर्ड दुरस्त किया जावे, वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज फरमाया जावे। सरहद मौजा हाथलाई (गुन्दोज I) पटवार हल्का गुन्दोज के खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15 बीघा 09 की कृषि भूमि से प्रतिवादी वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे कास्त व उपयोग व उपभोग में दखल नहीं करे, मौके की स्थिति में परिवर्तन व परिवर्धन प्रतिवादी नहीं करें। इसके लिये प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधांज्ञा जारी फरमावें व प्रतिवादी को पाबंद किया जावे। उक्त कृत्य प्रतिवादी स्वयं व प्रतिवादी के अधिकारी, कर्मचारी, आर.आई. पटवारी इत्यादि भी नहीं करें। इसके लिये भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। हर्जा खर्चा प्रतिवादी से दिलाया जावे व अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के लिये लाभप्रद हो वह भी प्रतिवादी से दिलाया जावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाथलाई के खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15.09 बीघा कृषि भूमि जो पूर्व में राजस्व ग्राम गुंदोज के नां0सं0 17 के तहत भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि हीरा पुत्र गोमा जाति भाम्बी के नाम आंवटन हुई जो जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में गैर खातेदारी दर्ज थी। राजस्व ग्राम गुंदोज के नां0सं0 884 के तहत जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 मे खातदारी दर्ज की गई। राजस्व ग्राम गुन्दोज के नामान्तरकरण संख्या 17 के आधार पर खसरा नंबर 106 में प्रार्थी व अन्य 4 कुल 5 आंवटियों के नाम आंवटन हुआ था। तत्पश्चात् ग्राम गुंदोज के नां0सं0 1515 के तहत खातेदारी भूमि के अधिकार समाप्त कर दिनांक 16–11–83 के तहत खातेदारो को भूदान होल्डर दर्ज किया गया। ग्राम हाथलाई के नमा0सं. 96 के आंवटी हिरा पुत्र गोमा फौत होने पर इनके पुत्र मगनाराम पुत्र हिरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही गई। पूर्व राजस्व ग्राम खसरा नम्बर 106 मे वर्तमान राजस्व ग्राम हाथलाई के खसरा नम्बर 2391/106 रकबा 15.09 बीघा में वादीगण का नाम दर्ज है तथा वादीगण का ही कब्जा काश्त है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

4. वादीगण ने अपने वाद को साबित करने हेतु वादी मगनाराम पुत्र हीराराम जाति भांबी (मेघवाल) का मुख्य परिक्षण में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। शपथ–पत्र में वाद में दर्शित तथ्यों को दोहराया गया।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम सरहद मौजा गुंदोज में संवत् 2023 से 2026 तक की जमाबंदी के माफिक खसरा संख्या 106 रकबा 84 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम स्थित है। जो राजकीय सिवाय चक थी। तत्पश्चात् वादी के पिता हीरा वल्द गोमा कौम भांबी के नाम 15 बीघा 09 बिस्वा कृषि भुमी आवन्टन हुई जो श्रीमान तहसीलदार पाली के आदेश कमांक एल.आर. नंबर 1284 दिनांक 06–06–1963 के अनुसार खसरा संख्या 106 में रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा का नामान्तरण वादी पिता के नाम अमल अदामद किया गया जिसके म्यूटेशन संख्या 17 है। नामान्तरण वादी के पिता सहीव पांच (5) व्यक्तियों सहित स्वीकृत हुआ व उसी समय खसरा में टुकड़े कर वादी के खसरा 15 बीघा 09 बिस्वा के खसरा नम्बर 106/3 कायम किये गये। इस प्रकार नामान्तरण के बाद वादी के पिता का नाम जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में दर्ज किया गया व वादी के पिता हीरा के बट्टा नम्बर 2391/106 कायम किया गया। तत्समय से इस खसरे की भूमि पर वादी के पिता का कास्त करते थे व वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् से लगातार वादी कास्त करते आ रहे है व कब्जा काश्त वादीगण का है। हीरा की मृत्यु होने के बाद हीरा का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 96 दिनांक 19–11–1996 को स्वीकृत करते समय म्यूटेशन में गलत एन्ट्री कर यह दर्ज कर दिया कि " यह भुमि भू–दान होल्डर है। इसे भुमी हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। "विद्वान अभिभाषक वादीगण ने राज्य सरकार के द्वारा जारी सर्कुलर संख्या F.. 2(12)Rev.6/92/Pt./4 दिनांक 26–3–2009 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान भू–दान यगना एक्ट, 1954 की धारा 24 में संशोधन कर आंवटी को समस्त खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है इसलिए राजस्व रेकर्ड से उक्त नोट हटाया जाने का निवेदन किया।

7. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम गुंदोज की जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 के खाता संख्या 55 में खसरा नंबर 234/13 व 2391/106 रकबा 8 बीघा व 15.04 बीघा हीरा वल्द गोमा कौम भांबी सा0 ढाणी गोपालगढ खातेदार दर्ज है। ग्राम गुंदोज की जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 के खाता संख्या 935 में खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15.04 बीघा हीरा वल्द गोमा कौम भांबी सा0 ढाणी गोपालगढ सा0 देह दर्ज है। नामां0 संख्या 17 में अन्य व्यक्तियों के साथ खसरा नंबर 106 रकबा 84.03 बीघा मे से नये खसरा नम्बर 106/3 हीरा पुत्र गोमा के नाम दर्ज कर रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भुमि का आवंटन किया गया। प्रतिवादी द्वारा हीरा की मृत्यु होने के बाद हीरा का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 96 दिनांक 19–11–1996 को स्वीकृत करते समय म्यूटेशन में गलत एन्ट्री कर यह दर्ज कर दिया कि " यह भुमि भू–दान होल्डर है। इसे भुमी हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। " यह टिप्पणी नामान्तरण संख्या 96 के कॉलम संख्या 7 व 9 में की गई। नामां0 संख्या 96 खातेदार हिरा फौत होने पर भरे गये नामां0 में भी विधिक वारिसान का नाम अंकित कर ''यह व्यक्ति केवल भूदान होल्डर ही है और उसको भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है'' लिखा गया है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम के साथ "यह व्यक्ति केवल भूदान होल्डर ही है और उसको भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है" अंकित चला आ रहा है। राज्य सरकार के सर्कुलर कमांक F..2(12)Rev.6/92/Pt./4 दिनांक 26–3–2009 के द्वारा राजस्थान भूदान यगना एक्ट, 1954 की धारा 24 में संशोधन कर भू–दान यगना एक्ट के तहत आंवटन की गई भूमि के आंवटी को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। धारा 24 इस प्रकार से है:–

"24.VESTING OF LAND AND TIGHTS OF GRANTEE.- Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force but subject to the provisions of section 26 of this Act, the land granted under this Act shall stand vested in the State Government with effect from the date of commencement of the Rajasthan Bhoodan Yagna (Amendement) Act, 2008 (Act No. 20 of 2008) or from the date of grant whichever is later, and the grantee of such land shall become a khatedar tenant thereof with effect from the said date and shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities imposed, on a khatedar tenant under the provision of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955)" इस प्रकार भूदान यगना एक्ट, 1954 के तहत आंवटित की गई भूमि के आंवटी को खातेदारी अधिकार दे दिये जाने से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम के साथ दर्ज "यह व्यक्ति केवल भूदान होल्डर ही है और उसको भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है" प्रविष्टी को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम हाथलाई में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15 बीघा किस्म बा0दो0 के खातेदार के नाम के आगे लिखी प्रविष्टि "यह व्यक्ति केवल भूदान होल्डर ही है और उसको भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है" को हटाये जाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। वादीगण को इस निर्णय के पेरा संख्या 7 में वर्णित धारा 24 के तहत बतौर खातेदार समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। माफिक निर्णय पालना करने हेतु इस निर्णय एवं डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली
इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 02 सन् 2019
अंतर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

वादीः– बनाम **प्रतिवादीगणः–**

1. मगनाराम पुत्र श्री हीराराम जी उम्र 50 वर्ष जाति भांबी, निवासी हाथलाई, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम हाथलाई में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2391/106 रकबा 15 बीघा किस्म बा0दो0 के खातेदार के नाम के आगे लिखी प्रविष्टि "यह व्यक्ति केवल भूदान होल्डर ही है और उसको भूमि हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है" को हटाये जाने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। वादीगण को निर्णय के पेरा संख्या 7 में वर्णित धारा 24 के तहत बतौर खातेदार समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 01 सन्. 2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत....................
ओहदा सहायक कलेक्टर पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 16:29:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: